GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106] No. 106]

दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2015/श्रावण 23, 1937 DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2015/SRAVANA 23, 1937

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 84 [N.C.T.D. No. 84

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

लोक निर्माण विभाग

(आबंटन शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 14 अगस्त, 2015

सं. फा. 4(1)/वि./पार्ट-III/लो.नि.वि. एंड आ./आ.—II/15209.—मौलिक नियमावली के नियम 45 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली राजपत्र भाग—IV असाधारण में प्रकाशित लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार की दिनांक 30 जून, 2014 अधिसूचना सं. फा. 4(1)/वि./पार्ट-III/लो.नि.वि. एंड आ./आ.—II/6173 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

- 1. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या—1, के समक्ष संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ से संबंधित पैराग्राफ (2) के लिये निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 - "(2) ये 11 जुलाई, 2013 से प्रभावी समझे जाएंगे"
- 2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या—2, के समक्ष नियम 11 के संशोधन से संबंधित पैराग्राफ (2) में उससे संबंधित विद्यमान तालिका तथा प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित तालिका तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

घटनाएं	आवास को रखने के लिये अनुमति योग्य अवधि
	on asked t VS
त्याग—पत्र, बर्खास्त करना या सेवा से हटाना, प्तेवा की समाप्ति या बिना अनुमति के अनधिकृत अनुपरिथति	एक माह

सेवानिवृत्ति या आवधिक अवकाश	(क) 11 जुलाई, 2013 से पूर्व आवास आबंटन की स्थिति में, सामान्य लाइसेंस शुल्क का चार गुना अंगले दो माह तथा उसके बाद में सामान्य शुल्क के छह गुना (ख) 11 जुलाई, 2013 से या उसके
	(ख) 11 जुलाई, 2013 से या उसके पश्चात् आवास आबंटन की रिथिति में : सामान्य लाइसेंस शुल्क पर दो माह, सामान्य लाइसेंस शुल्क के दोगुना करने पर अगले दो माह, सामान्य लाइसेंस शुल्क के चार गुना पर आगे दो माह"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, कमल दीप गुप्ता, उप सचिव

PUBLIC WORKS DEPARTMENT (ALLOTMENT BRANCH) NOTIFICATION

Delhi, the 14th August, 2015

- No. F. 4(I)/Misc./P-III/PWD&H/A-II/15209.—In pursuance of provisions of rule 45 of the fundamental rules, Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendment in the notification of the Public Works Department of Delhi Government, number F.4(1)/Misc./P-III/PWD&H/A-II/6173 dated the 30th June, 2014, published in Delhi Gazette, Extraordinary Part-IV, namely:
 - 1. In the said notification against serial number-1, relating to Short title and commencement, for "(2) They shall be deemed to have come into force on 11th July, 2013"
 - 2. In the said notification against serial number-2, relating to amendment of rule 11, in paragraph (2), for the existing table and entries relating thereto, the following table and

Events	D
Pari I	Permissible period for retention 5.
termination of service of absence without permission.	r
Retirement or terminal leave	
	 (a) In cases of accommodation allotted prior to 11th July, 2013, two months on normal licence fee, another two months on double of the normal licence fee, further two months on four times of the normal licence fee and subsequent two months on six times of the normal licence fee. (b) In cases of accommodation allotted on or after 11th July, 2013, two months on normal licence fee, another two months on double of the normal licence fee and further two months on four times of the normal

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,